प्रेमपाल - दानाराम मु.न. 69/2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
21.8.25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 3.11.25 को पेश हो।
3.11.25	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज.....SO कार्य पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.....18.11.25 को पेश हों।
18.11.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित शेष के कोर्ट [illegible] पेश होने पर जारी हो। [illegible] तकमील दिनांक 4.12.25 को पेश हो।
4.12.25	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोर्डेटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।